

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर - I
लोक निर्माण विभाग उत्तरांचल
देहरादून

50/1/74
1-4-03
172

पत्र संख्या : 224/24 दि. 30/02

दिनांक : 31/03/2003

"कार्यालय ज्ञाप / परिपत्र"

महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय का अर्द्धशासकीय पत्र RW/NH-34059/2/2001-S&R(B) दिनांक 31.01.2003, विद्यमान एवं निर्मित किए जा रहे पुलों के निरीक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है। यह भी देखने में आ रहा है कि सेतुओं के निरीक्षण के अभिलेख समुचित ढंग से नहीं रखे जा रहे हैं। सेतुओं का निरीक्षण, रखरखाव एवं अभिलेखों के विषय में इण्डियन रोड का - ग्रंथ द्वारा निम्नलिखित प्रकाशनों में गाइड लाइन्स दी गई हैं। अतः एतद द्वारा यह निदेश दिये जा रहे हैं कि सेतुओं का निरीक्षण एवं रखरखाव एवं अभिलेख इन प्रकाशनों में दी हुई गाइड लाइन्स के अनुसार किया जाए।

1. मैनुअल फार हाइवे ब्रिज मेण्टेनेन्स इन्सपेक्शन - एस.पी. 18
2. पाकेट बुक फार ब्रिज इन्जीनियर्स
3. गाइड लाइन्स फार इन्सपेक्शन, मेण्टेनेन्स आफ ब्रिजेज - एस.पी. 35

सेतुओं के निरीक्षण को तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है:-

1. **रूटीन निरीक्षण :-** यह निरीक्षण एस.पी. 35 के अपेडिक्स-4 की चेक लिस्ट के अनुसार वर्ष के माह अप्रैल एवं माह अक्टूबर में दो बार किया जाना है। (प्रतिलिपि संलग्न)
- निरीक्षण अवर अभियन्ता के स्तर से प्रारम्भ होगा तथा निम्नतालिका के अनुसार अधिकारियों द्वारा किया जाना है:-

क. सं.	सेतु की लम्बाई	अंतिम निरीक्षण किए जाने वाले अधिकारी का पद नाम
1.	15 मीटर तक	अवर अभियन्ता
2.	15 से अधिक एवं 60 मीटर तक	सहायक अभियन्ता
3.	60 मीटर से अधिक एवं 150 मीटर तक	अधिशाली अभियन्ता
4.	150 मीटर से अधिक, कान्टीन्युअस स्ट्रक्चर्स, सस्पेंशन ब्रिजेज, केविल स्टेड ब्रिजेज एवं विशेष स्ट्रक्चर्स।	अधीक्षण अभियन्ता

प्रिसपल इन्सपेक्शन :- यह निरीक्षण एस.पी. 35 के अपेडिक्स-5 की चेक लिस्ट के अनुसार किया जायेगा। (प्रतिलिपि संलग्न) व प्रथम निरीक्षण डिफेक्ट लाय बिलिटी समय या सेतु का कार्य समाप्त होने के 6 माह के अन्दर जो भी पहले हो, करना है तत्पश्चात् यह निरीक्षण हर तीसरे वर्ष किया जायेगा। इस निरीक्षण के लिए अंतिम निरीक्षण अधिकारी निम्न प्रकार, होंगे :-

क. सं.	सेतु की लम्बाई	अंतिम निरीक्षण किए जाने वाले अधिकारी का पद नाम
1.	150 मीटर तक	अधिशाली अभियन्ता
2.	150 मीटर से अधिक, कान्टीन्युअस स्ट्रक्चर्स, सस्पेंशन ब्रिजेज, केविल स्टेड ब्रिजेज एवं विशेष स्ट्रक्चर्स।	अधीक्षण अभियन्ता

प्रमाण पत्र
(1) *[Signature]*
(2) *[Signature]*

3. स्पेशल इन्स्पेक्शन :- विषम परिस्थितियों यथा तीव्र भूकम्प, दुर्घटना, अनायास ही अधिक भार व बाढ़ आने फलस्वरूप ब्रिज के सबस्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर व नींव में दरार व सेटलमेंट, रुटीन एवं प्रिसपल इन्स्पेक्शन के समय दृष्टिगोचर होता है तो स्पेशल इन्स्पेक्शन की आवश्यकता होती है। यह निरीक्षण परिकल्पना से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ वारिष्ठ निरीक्षण अधिकारियों के साथ किया जायेगा। शासन / मुख्य अभियन्ता की पूर्व अनुमति के पश्चात् यह निरीक्षण विशेषज्ञों / कन्सल्टेंट्स द्वारा भी किया जा सकता है।

निरीक्षण अभिलेख :- प्रत्येक खण्ड सेतुओं का निरीक्षण रजिस्टर रखेगा। निरीक्षण की रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रोफोर्मा एस. पी. 35 के अपेण्डिक्स 4 एवं 5 में दिए हुए हैं। यह प्रोफोर्मा अलग-2 रजिस्टर में कालमों के रूप में बनाये जाने हैं और इन्हें भरकर प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी उनपर हस्ताक्षर करेंगे। सेतुओं की निरीक्षण आख्या मुख्यालय / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को समय के अंदर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रीय मार्ग के सेतुओं की निरीक्षण आख्या महानिर्देशक सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय / मुख्य अभियन्ता, स्तर - I को उपलब्ध कराई जानी है।

अग्रिम कार्यवाही :- जिन सेतुओं में दोष पाया जाता है उनका उल्लेख एक अलग निरीक्षण रजिस्टर में भी किया जायेगा व इस रजिस्टर में सेतुओं के दोष का विवरण एवं उस पर की गयी कार्यवाही, स्पष्ट रूप से अंकित होगी / सभी अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता इन सभी सेतुओं का विशेष रूप से निरीक्षण करेंगे। मुख्यालय / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को आख्या भेजेंगे तथा उनके आदेशानुसार सेतु की मरम्मत कराई जाएगी।

राष्ट्रीय मार्गों के सेतुओं में पाए गए दोषों के लिए अधीक्षण अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग) के स्तर से परिवहन मंत्रालय को सूचित किया जायेगा। इन सेतुओं की मरम्मत का कार्य परिवहन मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात् किया जाना है।

(एस. के. गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता स्तर - I
लोक निर्माण विभाग उत्तरांचल
देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, कूमायूँ/गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/पौड़ी गढ़वाल।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
इस आशय से कि वे अपने स्तर से समस्त अधिशासी अभियन्ता को पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर सेतुओं की निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर - I की गार्ड फाइल हेतु / वैयक्तिक सहायक, लोक निर्माण विभाग।

(एस. के. गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता स्तर - I
लोक निर्माण विभाग उत्तरांचल
देहरादून